

सं०सं०-1/विविध-04/2018- 58(1)ब०

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-23/10/2018

विषय:- राज्य के विभिन्न 7 (सात) चिकित्सा महाविद्यालयों में आई (Eye) बैंक की स्थापना के लिए नये भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 53,16,830/- (रुपये तिरपन लाख सोलह हजार आठ सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 53,16,830/- (रुपये तिरपन लाख सोलह हजार आठ सौ तीस) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं०-219(1), दिनांक-21.02.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न 7 (सात) चिकित्सा महाविद्यालयों में आई (Eye) बैंक की स्थापना के लिए नये भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय आवंटनादेश सं०-99(1)ब०, दिनांक-21.02.2018 द्वारा रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र का आवंटन कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को किया जा चुका था।

2- इसी क्रम में व्ययादेश सं०-1154(1) दिनांक-23.10.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न 7 (सात) चिकित्सा महाविद्यालयों में आई (Eye) बैंक की स्थापना के लिए नये भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 53,16,830/- (रुपये तिरपन लाख सोलह हजार आठ सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 53,16,830/- (रुपये तिरपन लाख सोलह हजार आठ सौ तीस) मात्र का आवंटन दी जाती है। यह व्यय/आवंटन योजना के प्राक्कलित राशि रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र के अतिरिक्त है।

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-219(1), दिनांक-21.02.2018 एवं व्ययादेश सं०-1154(1) दिनांक-23.10.2018 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

4- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं संकल्प सं०-6439/वि०, दिनांक-28.08.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(2)

क्रमशः

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटनाको भी उपलब्ध करायेंगे।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

 11/10/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विधि-04/2018- 58(1) 90


/स्वा0, पटना, दिनांक- 23 / 10 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 11/10/18

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-23/10/2018

विषय:- राज्य के विभिन्न 7 (सात) चिकित्सा महाविद्यालयों में आई (Eye) बैंक की स्थापना के लिए नये भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 53,16,830/- (रुपये तिरपन लाख सोलह हजार आठ सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं०-219(1), दिनांक-21.02.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न 7 (सात) चिकित्सा महाविद्यालयों में आई (Eye) बैंक की स्थापना के लिए नये भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

2- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-1751, दिनांक-19.07.2018 द्वारा नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में बनने वाले आई बैंक (Eye Bank) की स्थापना हेतु scope of work को बढ़ाते हुए रु० 1,77,32,000/- (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख बत्तीस हजार) मात्र का तकनीकी अनमोदन प्राप्त प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार योजना की कुल लागत रु० 9,34,95,266/- (रुपये नौ करोड़ चौतीस लाख पन्चानवे हजार दो सौ छियासठ) मात्र हो जाती है-

क्र० सं०	संस्थान का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	पुनरीक्षित राशि (रु० में)
1	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	1,18,59,876/-	1,18,59,876/-
2	नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	1,24,15,170/-	1,77,32,000/-
3	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	1,17,32,390/-	1,17,32,390/-
4	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	1,24,36,000/-	1,24,36,000/-
5	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	1,48,63,000/-	1,48,63,000/-
6	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा	1,24,36,000/-	1,24,36,000/-
7	राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया	1,24,36,000/-	1,24,36,000/-
	कुल-	8,81,78,436/-	9,34,95,266/-

3- अर्थात् योजना की लागत में रु० 53,16,830/- (रुपये तिरपन लाख सोलह हजार आठ सौ तीस) मात्र की वृद्धि पुनरीक्षण के कारण हो जाती है।

4- तदनुसार वित्त विभाग के संकल्प सं०-6439, दिनांक-28.08.2018 की कंडिका के आलोक में राज्य के विभिन्न 7 (सात) चिकित्सा महाविद्यालयों में आई (Eye) बैंक की स्थापना के लिए नये भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र की लागत पर स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 53,16,830/- (रुपये तिरपन लाख सोलह हजार आठ सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह व्यय योजना के प्राक्कलित राशि रु० 8,81,78,436/- (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख अठहत्तर हजार चार सौ छत्तीस) मात्र के अतिरिक्त है।

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-219(1), दिनांक-21.02.2018 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- यह व्ययदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं संकल्प सं०-6439/वि०, दिनांक-28.08.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

9- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

10- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटनाको भी उपलब्ध करायेंगे।

11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-1/विविध-04/2018 के पृष्ठ- 13/टि० पर प्राप्त है।

12- प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति सं०सं०-1/विविध-04/2018 के पृष्ठ- 15/टि० पर प्राप्त है।

13- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- यह मात्र व्ययदेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

क्रमशः

५९

ज्ञापांक:-1/विविध-04/2018- 1154(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 23 / 10 / 2018

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/ लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Q. 1/10/18

सरकार के विशेष सचिव  
35